मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः25.09.2026

थाना ड्रमण्डगंज पुलिस द्वारा अवैध रूप से डीजल (पेट्रोलियम पदार्थ) का खरीद बिक्री करने व मुनाफाखोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

थाना ड्रमण्डगंज, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 24.09.2026 को वादी राज सिंह यादव (पूर्ति निरीक्षक लालगंज) द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध अवैध रूप से डीजल (पेट्रोलियम पदार्थों) का भण्डारण व क्रय-बिक्र किये जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । उक्त के सम्बन्ध में लिखित तहरीर के आधार पर थाना ड्रमण्डगंज पर मु0अ0सं0-108/2026 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 303(2),317(2) बीएनएस बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष ड्रमण्डगंज को निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना ड्रमण्डगंज पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए दिनांकः 25.09.2026 को थाना ड्रमण्डगंज पुलिस द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना ड्रमण्डगंज क्षेत्रांतर्गत लहुरिया दह के पास से 02 अभियुक्तों 1. श्रीनारायण जायसवाल पुत्र संगम लाल जायसवाल व 2. विनोद कुमार जायसवाल पुत्र राजबहोर जायसवाल निवासीगण भैसोड़ बलाय पहाड़ थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। मौके से 130 लीटर अवैध डीजल व डीजल के भंडारण हेतु गैलन व ड्रम बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना ड्रमण्डगंज पुलिस नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

1. श्रीनारायण जायसवाल पुत्र संगम लाल जायसवाल निवासी भैसोड़ बलाय पहाड़ थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर।
2. विनोद कुमार जायसवाल पुत्र राजबहोर जायसवाल निवासी भैसोड़ बलाय पहाड़ थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर।

बरामदगी विवरण-

130 लीटर अवैध डीजल व डीजल के भंडारण हेतु गैलन व ड्रम आदि बरामद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उपनिरीक्षक राम विशाल व उप निरीक्षक शिवा कान्त पाण्डेय मय पुलिस टीम थाना ड्रमण्डगंज मीरजापुर।